न्यायालय चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–538/2026
राज्य बनाम शैलेन्द्र कुमार

दिनांक 30.05.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **शैलेन्द्र कुमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त **शैलेन्द्र कुमार उम्र 26 वर्ष पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह, निवासी–बुढानपुर कला डिबाई, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश** मु0अ0सं0–20/2026, अन्तर्गत धारा–115(2), 118(2) भारतीय न्याय संहिता, अन्तर्गत थाना–प्रेमनगर, देहरादून के मामले में जिला कारागार, देहरादून में निरूद्ध है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मौहम्मद मुज्जमिल द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र दिनांकित 25.05.2026, संक्षेप में इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने उपरोक्त मामले से सम्बन्धित कोई अपराध नहीं किया है, अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त के विरूद्ध झूठे तथ्यों के आधार पर उपरोक्त वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। उपरोक्त अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 37 दिन के विलम्ब से लिखवाई गई है, जो कि अपने आप में संदेहास्पद है। अभियुक्त को रंजिशन फंसाया गया है जबकि अभियुक्त का उपरोक्त अपराध से कोई लेना–देना नहीं है। अभियुक्त का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता है। अभियुक्त के फरार होने की कोई सम्भावना नहीं है। अभियुक्त दिनांक 16.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

3. अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर थाना–प्रेमनगर से आख्या तलब की गयी। थाने से प्राप्त आख्यानुसार, जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया तथा अभियोजन पक्ष की ओर से इस आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी कि मु0अ0सं0–20/2026, धारा–115(2), 118(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना प्रेमनगर अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध धारा–115(2), 118(2) भारतीय न्याय संहिता में गम्भीर एवं अजमानतीय प्रकृति का कारित किया है। अभियुक्त गैर प्रान्त का निवासी है। जमानत मिलने पर जमानत उपबन्धों का उल्लंघन कर फरार होने की सम्भावना है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया जाता है।

4. जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मौहम्मद मुज्जमिल व विद्वान सहायक अभियोजन सुश्री हिमानी सेमवाल को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्त द्वारा पीड़ित कुलदीप के साथ मारपीट करते हुए पत्थर से उसकी बांयी आंख फोड़ दी, जिससे पीड़ित कुलदीप की बांयी आंख की रोशनी सदा के लिए चली गई, जिससे पीड़ित का अंग भंग हुआ है। पीड़ित कुलदीप अपनी आंख का इलाज करा रहा था, इसी कारण इलाज के पश्चात मुकदमा दर्ज कराया गया। अतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर एवं अजमानतीय प्रकृति का है। ऐसे में मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, अभियुक्त **शैलेन्द्र कुमार** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

6. इस आदेश की एक प्रति अभियुक्त शैलेन्द्र कुमार को वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, देहरादून के माध्यम से ई–मेल/अन्य संसाधन द्वारा तत्काल प्रेषित की जाए एवं एक प्रति अभियुक्त के अधिवक्ता को तत्काल निःशुल्क प्रदान की जाए।

(साहिस्ता बानों)
चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देहरादून।